भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2835

उत्तर देने की तारीख 28.03.2022

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत युवाओं को ऋण प्रदान किया जाना

2835 # श्री नीरज डांगी:

क्या ***सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अंतर्गत राज्यों के युवाओं को कितनी धनराशि का ऋण प्रदान किया गया है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत कितने लाभार्थियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना बेरोजगारी दर को कम करने में कहां तक प्रभावी सिद्ध हुई है और इसका प्रतिशत कितना है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) और (ख) प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) को 2007-08 के बाद से बंद कर दिया गया है। भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के माध्यम से तब के मौजूदा रोजगार सृजन कार्यक्रमों नामतः ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) और प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के विलय द्वारा वर्ष 2008-2009 में 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' (पीएमईजीपी) का शुभारंभ किया है।

एमएसएमई मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करके देश में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए पीएमईजीपी का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमईजीपी के अंतर्गत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% की मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में मार्जिन मनी सब्सिडी 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। विनिर्माण के लिए अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रु. और सेवा क्षेत्र के लिए यह 10 लाख रु. है।

विगत तीन वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित परियोजना, बैंकों द्वारा जारी किया गया ऋण/ऋण प्रवाह और अनुमानित सृजित रोजगार के राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 2018-19 से, पीएमईजीपी 5 लाख से अधिक व्यक्तियों के लिए स्थायी रोजगार सृजित करने में सफल रहा है। इस रोजगार का 80% ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित किया गया है। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत स्थापित इकाइयों की संख्या और अनुमानित सृजित रोजगार निम्नानुसार है।

वर्ष	इकाइयों की संख्या	अनुमानित सृजित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
2018-19	73427	587416
2019-20	66653	533224
2020-21	74415	595320
2021-22 (23.03.2022)	87463	699704

****

अनुबंध

दिनांक 28.03.2022 को उत्तर के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2835 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(मार्जिन मनी/अनुमानित ऋण प्रवाहः लाख रू. में, परियोजना/अनुमानित रोजगारः संख्या में)

वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार कार्यनिष्पादन

क्र सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19				2019-20				2020-21			
		परियोजना	संवितरित मार्जिन मनी	अनुमानित ऋण प्रवाह	अनुमानित सृजित रोजगार	परियोजना	संवितरित मार्जिन मनी	अनुमानित ऋण प्रवाह	अनुमानित सृजित रोजगार	परियोजना	संवितरित मार्जिन मनी	अनुमानित ऋण प्रवाह	अनुमानित सृजित रोजगार
I	**उत्तर क्षेत्र**												
1	जम्मू और कश्मीर	7529	15222	41099.4	60232	5355	11142.86	30085.72	42840	8575	18306.28	49426.96	68600
2	लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	0	281	1168.41	3154.72	2248
3	हिमाचल प्रदेश	1399	4135.61	11166.16	11192	1226	3229.32	8719.16	9808	1208	3381.1	9128.96	9664
4	पंजाब	1801	4766.68	12870.04	14408	1695	3914.83	10570.04	13560	1650	5008.66	13523.4	13200
5	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	28	63.91	172.56	224	14	28.71	77.52	112	10	16	43.2	80
6	हरियाणा	2165	5178.43	13981.76	17320	2029	4938.21	13333.16	16232	1740	5512.56	14883.92	13920
7	दिल्ली	132	157.13	424.24	1056	93	110.63	298.72	744	74	147.6	398.52	592
8	राजस्थान	2359	7199.28	19438.04	18872	3024	8171.88	22064.08	24192	2772	8806.83	23778.44	22176
	कुल-I	**15413**	**36723.04**	99152.2	**123304**	**13436**	**31536.44**	85148.4	**107488**	**16310**	**42347.44**	114338.08	**130480**
II	**केन्द्रीय क्षेत्र**			0				0				0	
9	उत्तराखंड	2181	4098.38	11065.64	17448	1844	3440.03	9288.08	14752	2249	4536.61	12248.84	17992
10	उत्तर प्रदेश	5243	19033.28	51389.84	41944	6118	21648	58449.6	48944	9994	32985.4	89060.6	79952
11	छत्तीसगढ़	3094	6784.52	18318.2	24752	2810	6098.28	16465.36	22480	2718	6062.77	16369.48	21744
12	मध्य प्रदेश	2526	10002.28	27006.16	20208	2175	8063.63	21771.8	17400	4854	13807.82	37281.12	38832
	कुल –II	**13044**	**39918.46**	107779.84	**104352**	**12947**	**39249.94**	105974.84	**103576**	**19815**	**57392.6**	154960.04	**158520**
III	**पूर्वोत्तर क्षेत्र**			0				0				0	
13	सिक्किम	55	112.35	303.36	440	79	174.56	471.32	632	57	152.28	411.16	456
14	अरूणाचल प्रदेश	280	419.88	1133.68	2240	211	363.79	982.24	1688	98	232.63	628.12	784
15	नागालैंड	1208	2349.67	6344.12	9664	1109	2650.24	7155.64	8872	740	2045.46	5522.76	5920
16	मणिपुर	1291	2041.06	5510.88	10328	1173	2036.3	5498	9384	1556	5899.02	15927.36	12448
17	मिजोरम	1123	1514.9	4090.24	8984	760	1083.78	2926.2	6080	810	1412.45	3813.6	6480
18	त्रिपुरा	1179	2314.24	6248.44	9432	963	1835.39	4955.56	7704	842	1829.57	4939.84	6736
19	मेघालय	390	587.14	1585.28	3120	377	569.17	1536.76	3016	359	579.65	1565.04	2872
20	असम	3737	4167.41	11252	29896	2587	3557.78	9606	20696	2939	4948.49	13360.92	23512
	कुल-III	**9263**	**13506.65**	36467.96	**74104**	**7259**	**12271.01**	33131.72	**58072**	**7401**	**17099.55**	46168.8	**59208**

IV	**पूर्व क्षेत्र**			0				0				0	
21	बिहार	3303	9842	26573.4	26424	2216	6950.67	18766.8	17728	2192	7208.75	19463.64	17536
22	पश्चिम बंगाल	2413	7568.78	20435.72	19304	2222	8487.4	22916	17776	2070	7425.32	20048.36	16560
23	झारखंड	1797	4535.69	12246.36	14376	1544	3749.79	10124.44	12352	1522	3847.8	10389.08	12176
24	ओडिशा	3070	7856.18	21211.68	24560	2723	7816.86	21105.52	21784	3171	8748.07	23619.8	25368
25	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	229	318.52	860	1832	93	146.16	394.64	744	155	186.12	502.52	1240
	कुल-IV	**10812**	**30121.17**	81327.16	**86496**	**8798**	**27150.88**	73307.36	**70384**	**9110**	**27416.06**	74023.36	**72880**
V	**पश्चिम क्षेत्र**			0				0				0	
26	गुजरात	3500	25443.87	68698.44	28000	3983	28740.29	77598.8	31864	2854	20637.05	55720.04	22832
27	महाराष्ट्र	5642	15272.02	41234.44	45136	4406	11219.47	30292.56	35248	3104	8844.29	23879.6	24832
28	गोवा	78	237.23	640.52	624	90	244.36	659.76	720	58	156.65	422.96	464
	कुल-V	**9220**	**40953.12**	110573.44	**73760**	**8479**	**40204.12**	108551.12	**67832**	**6016**	**29637.99**	80022.56	**48128**
VI	**दक्षिण क्षेत्र**			0				0				0	
29	आंध्र प्रदेश	2220	9046.31	24425.04	17760	2188	9024.23	24365.44	17504	1677	6866.3	18539	13416
30	तेलंगाना	2051	7180.89	19388.4	16408	2174	7118.89	19221	17392	2025	6376.33	17216.08	16200
31	कर्नाटक	3657	10725.32	28958.36	29256	3697	10681.14	28839.08	29576	4437	12504.26	33761.52	35496
32	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15.36	41.48	24
33	केरल	2486	5383.93	14536.6	19888	2438	5322.79	14371.52	19504	2389	5225.88	14109.88	19112
34	तमिलनाडु	5185	13290.95	35885.56	41480	5173	12405.45	33494.72	41384	5188	13881.57	37480.24	41504
35	पुदुचेरी	76	150.7	406.88	608	64	117.26	316.6	512	44	116.81	315.4	352
	कुल-VI	**15675**	**45778.1**	123600.88	**125400**	**15734**	**44669.76**	120608.36	**125872**	**15763**	**44986.51**	121463.56	**126104**
	कुल योग	**73427**	**207000.54**	**558901.44**	**587416**	**66653**	**195082.15**	**526721.8**	**533224**	**74415**	**218880.15**	**590976.4**	**595320**